

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट

श्री रोहित चौधान
निवासी वार्ड नं. 2
तरतोली तहसील आबूरोड
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
सचिव नगर सुधार न्याय आबू

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 42 वर्ष 2025

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जज इस हुकम को सामिल म जायेगा
01.09.2025	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू को दिनांक 25.06.2025 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम तरतोली में श्री नारायण गृह उद्योग के पीछे यूआईटी से स्वीकृत कॉलोनी के पीछे स्थित खसरा संख्या 28 और 29 के बीच की पडत भूमि (सैटबेक क्षेत्र) में दिनांक 13.01.2023 को किए गए अतिक्रमण हटाने की संभावित कार्यवाही की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयवधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/- जमा करा दिए है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू को दिनांक 25.06.2025 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम तरतोली में श्री नारायण गृह उद्योग के पीछे यूआईटी से स्वीकृत कॉलोनी के पीछे स्थित खसरा संख्या 28 और 29 के बीच की पडत भूमि (सैटबेक क्षेत्र) में दिनांक 13.01.2023 को किए गए अतिक्रमण हटाने की संभावित कार्यवाही की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांत द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावे। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसिफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। निर्णय सर-ए-इजलारा सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(अल्पा चौधरी)

जिला कलक्टर, सिरोही